tually made an experiment of charging sales tax at the first point on seven commodities and their experience was not very happy because there was a lot of loss of revenue because of that, and they have calculated the loss of revenue item-wise. Still, as the hon-Member has said, there is a very strong opinion about charging sales tax at the first point. That is why the Delhi Administration is now considering at present how to avoid the loop-holes and other factors which cause loss of revenue when sales tax is charged at the first point, and that matter is under their consideration. It is very difficult for me to indicate the time by which the consideration will be over and they will be ready to adopt this new system.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि सेल्स टैक्स स्टेट सब्जेक्ट है और यह बात ठीक भी है लेकिन सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में, जैसा अभी कहा गया, कलेक्शन में बड़ी गड़बड़ी होती है, इसमें करप्शन भी है और टैक्स का इवेजन भी बहुत होता है और यह बात सभी स्टेट्स में है। पहले जब कपड़े पर सेल्स टैक्स लगा तो उसके बाद सभी स्टेट्स की रजामन्दी से सेन्टर ने उत्पादन कर लगा दिया और सेल्स टैक्स सभी जगह से हटा दिया गया, उससे काफी लाभ भी हुआ, कपड़ा बेचने वालों को भी/ खरीदने वालों को भी और सरकार को भी। तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसी प्रकार से कुछ और आइटम्स पर भी सेल्स टैक्स को हटाकर उत्पादन कर लगायगी ताकि इसमें जो रिश्वत चलती है या जो और तकलीफें हैं वह दूर हो सकें ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में जब भी कोई सुझाव मिलेंगे तो उनपर हम सहानुभूति से विचार करेंगे।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

+

*787. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री अटल बिहार वाजपेयी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों को राष्ट्रीय एकता परिषद् के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई निदेश दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) प्रधान मंत्री ने उप-प्रधान मंत्री और अन्य मन्त्रियों तथा योजना आयोग के अध्यक्ष की राष्ट्रीय एकता परिषद् की पहली बैठक के तुरन्त बाद परिषद् की सिफारिशों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जिनसे इनका संबंध था अनुरोध करते हुए यह लिखा था कि वे उनके कार्यान्वय को उच्च प्राथमिकता दें।

(ख) तारांकित प्रश्न संख्या 131 के भाग (ख) के उत्तर में 26 जुलाई, 1968 को सदन के सभा पटल पर रखे गये एक विवरण के रूप में सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति बताने वाला एक संशोधित विवरण पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या LT-1979/68।]

श्री भारत सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला आक्षेप तो यह है कि विवरण-पत्र केवल इंग्लिश में ही दिया

गया है, वह हिन्दी में भी दिया जाना चाहिए था।

दूसरे, इसमें नं० 2 में लिखा है कि राज्यों को लिखा गया है इस की सिफारिशों के इम्प्लीमेन्टेशन के बारे में तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपको राज्य सरकारों की कोई राय प्राप्त हुई है और क्या उन्होंने इन सिफारिशों को असली रूप देने में कोई कठिनाइयां बतलाई हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल: जो राज्य सरकारों को लिखा गया है उसको अभी बहुत देर नहीं हुई, न अभी यह प्रश्न जरा जल्दी का है। अगर अगले अधिवेशन में इसके बारे में पूछा जाए या कुछ महीनों के बाद पूछा जाए तो सम्भवतः ठोस रूप में हम बता सकेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है और क्या कठिनाइयां हैं।

श्री भारत सिंह चौहान: कम्युनलिज्म, सम्प्रदायवाद के बारे में अभी तक कोई भी परिभाषा पर हम नहीं पहुंचे हैं और इसलिए पिछले वक्त मंत्री महोदय ने यहां पर कहा था कि उस की परिभाषा के लिए कोई एक नई डिक्शनरी हमें बनानी पड़ेगी। इसलिए जब तक सम्प्रदायवाद, कम्युनलिजम के बारे में परिभाषा स्पष्ट नहीं होती है तब तक यह कमेटीज बनाने के बारे में जो सिफारिशें हैं कि यह किस तरीके से फंक्शन करेंगी, जैसा मैं ने कहा जब तक कि यह उस की परिभाषा न हो जाय तब तक यह कमेटियां बनाना व्यर्थ है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर मंत्री महोदय की क्या राय है?

श्री विद्याचरण शुक्ल: किसी भी कमेटि को इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि वह सम्प्रदायवाद की परिभाषा करेंगी। यह तो विवरण में साफ़ बतलाया हुआ है कि विभिन्न मुद्दे जो उस समिति में पेश थे उन के बारे में विचार विमर्श हुआ था। उस के सम्बन्ध में सब राज्य सरकारों को लिखा गया है, यहां के मंत्रालयों को लिखा गया है और योजना आयोग को लिखा गया है। एक ख़ास सुझाव जोकि उस समिति की तरफ़ से आया था वह यह था कि क़ानून में संशोधन किया जाय और उस क़ानून का संशोधन करने के लिए एक विधेयक को कल ही इस माननीय सदन के सामने पेश किया गया था और इस माननीय सदन ने उसे प्रवर समिति के सामने भेजा है। वह सम्प्रदायवाद इत्यादि से किस तरह बचेंगे उस विषैले वातावरण को कैसे कम करेंगे उस के बारे में प्राविधान किया गया है। इसलिए अभी न तो समिति के सामने और न हाउस के सामने सवाल है कि इस सम्प्रदायवाद की परिभाषा की जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा: उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल इंटैग्रेशन कौंसिल की मीटिंग में यह तय पाया गया था:

It was decided to set up a sub-committee on communalism to review the communal situation.

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि उस सब कमेटी को कोंस्टीच्यूट कर लिया गया है, अगर नहीं तो कब तक कर लिया जायगा?

श्री विद्या चरण शुक्ल: जी नहीं अभी यह कौंस्टीच्यूट होने वाला है।

SHRI S. KANDAPPAN: One of the major hurdles from our point of view is the question of language. This was taken up at the National Integration Council by our spokesman who attended the conference. Though the Constitution has forbidden any discrimination on the basis of birth, race, religion and caste, unfortunately it has

not forbidden discrimination on the basis of language now committed. Discrimination on the basis of language on a large scale is writ large in every central administration. So I would like to know what concrete approaches have Government made to see that people do not suffer because of discrimination on the basis of language which they speak by the accident of their birth, not wantonly.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: There is no discrimination as far as the Government of India are concerned on the basis of language, and only last session or the one before that, we had passed a Resolution in this House as well as got through an amending Act to put beyond doubt any possibility of any discrimination or any disadvantage to any section of the people of India. There was a small point on which doubts were raised, as to whether it would cause any discrimination or difficulty. That is under examination and we hope to solve it as quickly as possible.

SHRI E. K. NAYANAR: As has been explained here, the communal problem has not been solved and the language problem also has not been solved. On the question of regionalism the Council decided to constitute a committee or body to settle border disputes. But the Mysore Chief Minister openly stated that he was opposed to the suggestion. If this is the attitude of a Chief Minister with regard to regional disputes, may I know how they are going to tackle this problem?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: As far as we know, the Mysore Chief Minister did not oppose the recommendation of the National Integration Council. He only expressed a certain doubt or misgiving about it. He did not oppose it.

SHRI E. K. NAYANAR: Indirectly, he was certainly opposed to it. He wanted the Mahajan Commission report to be implemented.

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि भाषा का प्रश्न भी उस परिषद में सोचा गया था और क्या यह सही नहीं है कि आधुनिक भारत में लगभग 100 वर्ष से यह माना गया है कि हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए एक भाषा की आवश्यकता है जिसके अनुसार हमारे संविधान में संविधान सभा ने सर्वमत से हिन्दी को वह स्थान दिया है....

SHRI S. KANDAPPAN: The whole thing is misleading; we never accepted it.

डा० गोविन्द दास : हिन्दी के साथ साथ और भी सभी भारतीय भाषाओं की उन्नति करने के लिए क्या कोई एक निश्चित योजना बन रही है और उस एकता को लाने के लिए भाषा का जो प्रधान स्थान है उस के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर राष्ट्रीय एकता परिषद में कोई खास चर्चा नहीं हुई लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय विचारों का सवाल उठाया है जितने भी राष्ट्रीय विचार थे वह सब हमारे संविधान में जुड़े हुए हैं। उन्हीं राष्ट्रीय विचारों के ऊपर हमारा यह संविधान आधारित है। संविधान में जो भाषा की स्थिति है वह माननीय सदस्यों के सामने साफ़ है और भारत सरकार पूरे तौर से उस संवैधानिक स्थिति के अनुसार आगे चलना चाहती है।

श्री रवि राय : नेशनल इंटेग्रेशन कौंसिल का यह जो फैसला है मैं यह मान कर चलता हूं कि उस पर कोई अमल नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भाषा बिल के चलते श्री कन्डप्पन ने जो सवाल पूछा कि कुछ लोगों को यह महसूस हुआ था

कि डिस्क्रिमनेशन हो रहा है तो उस डिस्क्रिमनेशन के हटाने के लिए मंत्री महोदय क्या सोच रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा यह है कि पबलिक स्कूलों के सिलसिले में शिक्षा मंत्रीजी की जो राय थी कि पबलिक स्कूलों को हटा देना चाहिए और कौमन स्कूलों में सारे बच्चों को भेजना चाहिए। लेकिन अभी शायद शिक्षा मंत्री जी उस के बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं और कहते हैं कि पबलिक स्कूलों के स्टैन्डर्ड को बढ़ाना चाहिए लेकिन जब तक यह पबलिक स्कूलों को खत्म नहीं किया जाता है तो साधारण बच्चों में कोई एकता, राष्ट्रीयता और सिटीजनशिप की भावना नहीं आयेगी। सरकार की इस बारे में क्या राय है और यह पबलिक स्कूलों को बंद करने या अनुदान देने का क्या कोई फैसला है?

श्री विद्याचरण शुक्ल: भाषा के प्रश्न के लिए मैंने पहले ही बताया कि उस में कोई डिस्क्रिमनेशन का सवाल नहीं है। कुछ लोगों के सामने कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने का जो प्रश्न है उस के ऊपर हम विचार कर रहे है और उस के लिए हम पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। जहां तक पबलिक स्कूलों का सवाल है माननीय शिक्षा मंत्री उस के बारे में उत्तर दे सकते हैं।

श्री रवि राय: मंत्री महोदय ने यह कह कर छूटटी पा ली कि उस के बारे में शिक्षा मंत्री जवाब दे सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार, का इन पबलिक स्कूलों को बंद करने और उन्हें अनुदान देने के बारे में क्या फैसला है?

श्री मोलहू प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, आप ने आश्वासन दिया था कि मुझे बाद में प्रश्न करने के लिए बलाया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय: बहुत हो चुका हैं। प्रश्न संख्या 788।

काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को वापिस लेना

*788. **श्री ओम प्रकाश त्यागी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काश्मीर के पाकिस्तान द्वारा बलपूर्वक अधिकृत क्षेत्र को वापिस लेने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार से अनुच्छेद 370 को समाप्त करके सभी प्रयोजनों के लिये उसे भारत का भाग बनाने के बारे में बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): (a) It is Government's policy to use peaceful means to recover that part of the State of Jammu and Kashmir which has been forcibly and illegally occupied by Pakistan.

(b) and (c). The State of Jammu and Kashmir is already part and parcel of the Indian Union. By the Presidential Orders made under Article 370, after securing the concurrence of the State Govt., more and more provisions of the Constitution of India have been applied to Jammu and Kashmir. There is no proposal to repeal this article.

श्री ओम प्रकाश त्यागी: जब से पाकिस्तान ने हमारे जम्मू व काश्मीर राज्य के करीब आधे भाग पर अवैध